


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--:कार्यालय आदेश:--

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है ।
1	आजाद खान पठान प्रशिक्षक बास्केटबॉल रा. फतेह उ.मा. विधालय, उदयपुर	अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक	रा. फतेह उ.मा. विधालय, उदयपुर से कोच के रिक्त पद से

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/वेतनव्यवस्था/2018-19 दिनांक:- 05/02/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एंनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर